अनुदान संख्या 49 – भारी उद्योग विभाग
GRANT No. 49–DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	132,90,00		328,68,00	284,37,54	–44,30,46
पूरक	Supplementary	195,78,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					43,85,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	467,75,00		618,10,00	554,09,02	–64,00,98
पूरक	Supplementary	150,35,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					63,96,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, समग्र बचतें (4430.46 लाख रु.) अगस्त, 2003 में प्राप्त किए गए 19578.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 23 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.4430.46 lakhs) constituted 23 percent of the supplementary grant of Rs.19578.00 lakhs obtained in August, 2003 and 13 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "3451''	Major Head "3451"					
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat – Economic Services					
मू.	O.	726.00		662.69	618.32	–44.37
पु.	R.	–63.31				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	12564.00			
पू.	S.	19578.00	27820.31	27819.22	–1.09
पु.	R.	–4321.69			

(I) 3674.50 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3674.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2852" - "इंजीनियरी उद्योग - अन्य इंजीनियरी उद्योग - भारी इंजीनियरी निगम लि. के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के भाग के रूप में ब्याज सहायता" के अंतर्गत मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार ब्याज सहायता प्रदान करने की अवधि 31.03.2003 को समाप्त होने की वजह से निधियों की आवश्यकता न होने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.3674.50 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.3674.00 lakhs alone was under Major Head "2852" – "Engineering Industries – Other Engineering Industries - Interest subsidy as part of BIFR package for Heavy Engineering Corporation Ltd." – due to non-requirement of funds as the period for providing interest subsidy expired on 31.03.2003 as per Cabinet decision.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - भारी उद्योग विभाग" के अंतर्गत 107.68 लाख रु. की बचत (726.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में अध्ययन किए जाने, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्ते जैसे यात्रा भत्ता, समयोपरि भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत इत्यादि को आहरित न किए जाने और साथ ही विदेश यात्रा खर्च, अन्य प्रशासनिक खर्च, कार्यालय खर्च और विज्ञापन तथा प्रचार पर कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Heavy Industry" - saving of Rs.107.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 726.00 lakhs) was due to less number of studies undertaken, non-withdrawal of salary and other allowances like traveling allowance, overtime allowance, leave travel concession etc. of the officers/staff of Department of Industrial Policy and Promotion who were taken on roll of this Department and also less expenditure on foreign travel expenses, other administrative expenses, office expenses and advertising and publicity.

(III) मुख्य शीर्ष "2852" - "सामान्य - औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण - आटोमोबाइल और सम्बद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद को अदायगी" के अंतर्गत 500.00 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर योजना प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2852"- "General – Industrial Education, Research and Training – Payment to Development Council for Automobile and Allied Industries" – saving of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to reduction of plan provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 87.80 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 44 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of Rs.87.80 lakhs occurred constituting 44 percent of the sanctioned provision.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, समग्र बचतें (6400.98 लाख रु.) अगस्त, 2003 और दिसम्बर, 2003 में प्राप्त किए गए 15035.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 43 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत थीं।

2. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.6400.98 lakhs) constituted 43 percent of the supplementary grants of Rs.15035.00 lakhs obtained in August, 2003 and December, 2003 and 10 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas					
मू.	O.	1000.00				
पु.	R.	–1000.00		. .	. .	. .
मुख्य शीर्ष "4854'' सीमेंट तथा धातु रहित खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4854" Capital Outlay on Cement and Non-metallic Mineral Industries					
मू.	O.	1500.00				
पु.	R.	–1400.00		100.00	100.00	. .
मुख्य शीर्ष "4858'' इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4858" Capital Outlay on Engineering Industries					
मू.	O.	1884.00				
पू.	S.	35.00		4987.03	4986.03	–1.00
पु.	R.	3068.03				
मुख्य शीर्ष "4860'' उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4860" Capital Outlay on Consumer Industries					
मू.	O.	250.00				
पु.	R.	–175.00		75.00	75.00	. .

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "6854" सीमेंट और धातुरहित खनिज उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6854" Loans for Cement and Non-metallic Mineral Industries				
मू.	O.	15001.00	4127.15	4123.17	–3.98
पु.	R.	–10873.85			
मुख्य शीर्ष "6858" इंजीनियरी उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6858" Loans for Engineering Industries				
मू.	O.	26888.00	43269.13	43269.13	. .
पू.	S.	15000.00			
पु.	R.	1381.13			
मुख्य शीर्ष "6860" उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6860" Loans for Consumer Industries				
मू.	O.	252.00	2588.08	2588.08	. .
पु.	R.	2336.08			
मुख्य शीर्ष "6885" अन्य उद्योगों और खनिजों के लिए कर्ज	Major Head "6885" Loans for Other Industries and Minerals				
पु.	R.	267.61	267.61	267.61	. .

(I) 58204.00 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 58003.00 लाख रु. (एक शीर्ष के अंतर्गत पूरक अनुदान सहित) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान"- 1000.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय

(I) Provision of Rs.58204.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these Rs.58003.00 lakhs (including supplementary grant under one head) accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4552" –"Other Expenditure– Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim"- Rs. 1000.00 lakhs – due to utilisation of funds by re-appropriation for meeting the expenditure on

को पूरा करने के लिए संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "4854" - "अन्य - अन्य व्यय"-

(क) "सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की निरन्तर व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए निर्णायक संतुलित निवेश"- 700.00 लाख रु.; और

(ख) "सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में परिवर्धन, आशोधन तथा प्रतिस्थापन के लिए निवेश"- 800.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान अनुमोदित वित्तीय पुनर्गठन स्कीम के अनुसार एण्ड्रू यूले एंड कंपनी लिमिटेड को योजना इक्विटी प्रदान किए जाने के लिए पुनर्विनियोग के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "4858" - "अन्य इंजीनियरी उद्योग-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश"-

(क) "भारत यंत्र निगम लिमिटेड में निवेश"- 175.00 लाख रु. संशोधित अनुमान चरण पर योजना प्रावधान को कम किए जाने के कारण थे।

(ख) "हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड में निवेश"- 328.00 लाख रु. पूर्व में जारी की जा चुकी निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण थे।

(घा) मुख्य शीर्ष "6854" - "अन्य - अन्य कर्ज - सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पुन:प्रवर्तन स्कीम का कार्यान्वयन"- 15000.00 लाख रु. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वेतन, मजदूरी और सांविधिक देयताओं के पुन: प्रवर्तन भुगतान के कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को संबंधित शीर्षों से एकमुश्त प्रावधान के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने के कारण थे।

(ङ) मुख्य शीर्ष "6858" - "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम का कार्यान्वयन और सांविधिक देयताओं की अदायगी"- 40000.00 लाख रु. (15000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंधित शीर्षों से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एकमुश्त प्रावधान से पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने के कारण थे।

Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim from concerned functional heads.

(B) Major Head "4854" – "Others - Other Expenditure" –

(a) "Crucial Balancing Investments for sustained viability of PSEs" – Rs.700.00 lakhs; and

(b) "Investment for Addition, Modification and Replacement in PSUs"- Rs.800.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation for providing plan equity to Andrew Yule & Co. Ltd. as per approved financial restructuring scheme.

(C) Major Head "4858" – "Other Engineering Industries – Investments in Public Sector and Other Undertakings"-

(a) "Investment in Bharat Yantra Nigam Ltd." – Rs.175.00 lakhs - due to reduction of plan provision at revised estimates stage.

(b) "Investment in Hindustan Cables Ltd."- Rs.328.00 lakhs - due to non-utilisation of funds released in the past.

(D) Major Head "6854" – "Others – Other Loans – Implementation of revival schemes of PSEs" – Rs. 15000.00 lakhs – due to utilisation of funds by re-appropriation of the lumpsum provision for implementation for revival payment of salaries, wages and statutory dues to Public Sector Enterprises from the concerned heads of PSEs.

(E) Major Head "6858" – "Other Engineering Industries - Loans to Public Sector and Other Undertakings- Implementation of Voluntary Separation Schemes (VSS) and payment of Statutory dues" – Rs. 40000.00 lakhs (including supplementary grant of Rs. 15000.00 lakhs) – due to utilisation of funds by re-appropriation of the lumpsum provision for Implementation of Voluntary Retirement Scheme (VRS) in the Public Sector Enterprises from the concerned heads of the PSEs.

(II) मुख्य शीर्ष ''4858'' - ''अन्य इंजीनियरी उद्योग-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड में निवेश''- 384.00 लाख रु. की बचत (506.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) ''भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड में निवेश''- 100.77 लाख रु. की बचत (175.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) मुख्य शीर्ष ''4860'' - ''अन्य - नमक - हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड में निवेश'' के अंतर्गत 175.00 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें पहले जारी की गई निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुईं।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 75.77 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत थी।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (52279.08 लाख रु.) प्रयुक्त हो गई जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध- II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4858'' - ''अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश - एण्ड्रू यूले एण्ड कंपनी लिमिटेड में निवेश''- 4155.80 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4154.80 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''6854'' - ''सीमेंट - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कर्ज''- 4122.17 लाख रु.।

(गा) मुख्य शीर्ष ''6858'' - ''अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज'' निम्नलिखित उपक्रमों के अंतर्गत:-

(क) ''एण्ड्रू यूले एंड कंपनी लिमिटेड को कर्ज''- 727.69 लाख रु.।

(II) Under Major Head "4858" - "Other Engineering Industries - Investments in Public Sector and Other Undertakings" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Investment in Instrumentation Ltd." - saving of Rs.384.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.506.00 lakhs);

(B) "Investment in Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd." – saving of Rs.100.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.175.00 lakhs); and

(III) Under Major Head "4860" – "Others-Salt – Investment in Hindustan Salts Limited"- saving of Rs.175.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 250.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-utilisation of funds released in the past.

(IV) Under one head saving of Rs.75.77 lakhs occurred constituting 30 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.52279.08 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant and vide Annexure- II of the Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "4858" – "Other Engineering Industries - Investments in Public Sector and Other Undertakings – Investments in Andrew Yule and Company Ltd." –Rs.4155.80 lakhs. Actual excess, however, was Rs. 4154.80 lakhs.

(B) Major Head "6854" – "Cement – Loans to Public Sector and Other Undertakings –Loans to Cement Corporation of India Ltd." – Rs. 4122.17 lakhs.

(C) Major Head "6858" – "Other Engineering Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings" –under the following undertakings:-

(a) "Loans to Andrew Yule and Co. Ltd." – Rs.727.69 lakhs.

(ख) ''हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को कर्ज''- 1047.10 लाख रु.।

(ग) ''इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को कर्ज''- 1391.00 लाख रु.।

(घ) ''भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड को कर्ज''- 1087.63 लाख रु.।

(ङ) ''माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड को कर्ज''- 167.61 लाख रु.।

(च) ''प्राग टूल्स लिमिटेड को कर्ज''- 311.91 लाख रु.।

(छ) ''एच.एम.टी. लिमिटेड को कर्ज''- 22504.61 लाख रु.।

(ज) ''भारत यंत्र निगम लिमिटेड को कर्ज''- 8443.84 लाख रु.।

(झ) ''भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड को कर्ज''- 5652.74 लाख रु.।

(घा) मुख्य शीर्ष ''6860''- निम्नलिखित उपक्रमों के अंतर्गत:-

(क) ''कागज तथा अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - नेपा लिमिटेड को कर्ज''- 1617.00 लाख रु.।

(ख) ''अन्य''-

(i) फोटो फिल्में - हिन्दुस्तान फोटोफिल्म विनिर्माण कंपनी लिमिटेड को कर्ज''- 480.19 लाख रु.।

(ii) ''अन्य - टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को कर्ज''- 302.18 लाख रु.।

(ङ) मुख्य शीर्ष ''6885'' - ''औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को कर्ज''- 267.61 लाख रु.।

(II) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''6858'' - ''अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - भारत औप्थेलमिक ग्लास लिमिटेड को कर्ज'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 147.00

(b) "Loans to Hindustan Cables Ltd." - Rs. 1047.10 lakhs.

(c) "Loans to Instrumentation Ltd." – Rs. 1391.00 lakhs.

(d) "Loans to Heavy Engineering Corporation Ltd." – Rs. 1087.63 lakhs.

(e) "Loans to Mining and Allied Machinery Corporation Ltd." – Rs. 167.61 lakhs.

(f) "Loans to Praga Tools Ltd." – Rs. 311.91 lakhs.

(g) "Loans to HMT Ltd." – Rs.22504.61 lakhs.

(h) "Loans to Bharat Yantra Nigam Ltd." – Rs. 8443.84 lakhs.

(i) "Loans to Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd." – Rs. 5652.74 lakhs.

(D) Major Head " 6860" – under the following undertakings:-

(a) "Paper and Newsprint – Loans to Public Sector and Other Undertakings -Loans to Nepa Ltd." – Rs.1617.00 lakhs.

(b) "Others" –

(i) "Photo films – Loans to Hindustan Photo Films Mfg. Company Ltd." – Rs. 480.19 lakhs.

(ii) "Others – Loans to Tyre Corporation of India Ltd." – Rs. 302.18 lakhs.

(E) Major Head "6885" – "Loans for Industrial Financial Institutions– Loans to Public Sector and Other Undertakings – Loans to National Industrial Development Corporation Ltd." – Rs.267.61 lakhs.

(II) The above savings were also offset by excess under Major Head "6858" – "Other Engineering Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings - Loans to Bharat Opthalmic Glass Ltd." - excess of Rs.147.00

लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) वेतन, मजदूरी और सांविधिक देयताओं की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

lakhs (against nil provision) was due to payment of salaries, wages and statutory dues.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 100.00 लाख रु. के समग्र व्यय को निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया गया।

(III) Under one head entire expenditure of Rs.100.00 lakhs was met by re-appropriation of funds.